अध्याय XII : विधि एवं न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

12.1 जनवरी 2000 से सभागार के निर्माण हेतु अनुदान का उपयोग नहीं किया गया

सर्वोच्च न्यायालय बार संघ को जनवरी 2000 में स्वर्ण जयंती सभागार के निर्माण के उद्देश्य हेतु संस्वीकृत ₹ एक करोड़ के अनुदान को, अनुदान नियंत्रित करने वाले जीएफआर के उल्लंघन में, 19 वर्षों के बीत जाने के पश्चात् भी, न तो उस उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया था जिसके लिए उसे संस्वीकृत किया गया था और न ही ब्याज सहित इसे वापिस किया गया था।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्वर्ण जयंती समारोह (2010) के अवसर पर विधि कार्य विभाग (डीओएलए) ने सर्वोच्च न्यायालय बार संघ (एससीबीए) को उनके अनुरोध पर स्वर्ण जयंती सभागार के निर्माण हेतु जनवरी 2000 में ₹ एक करोड़ का अनुदान संस्वीकृत किया। अनुदान की शर्तों के अनुसार, अव्ययित अनुदान जिसे उस उद्देश्य के लिए व्यय नहीं किया गया है जिसके लिए अनुदान को 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के दौरान संस्वीकृत किया गया है, उसे वर्ष के अंत में सरकार को वापिस किया जाना था।

राशि को, सभागार के लंबित निर्माण के कारण एससीबीए द्वारा (2000) बैंक के एक आवधिक जमा खाते में रखा गया था। एससीबीए के अनुरोध पर, डीओएलए ने वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के परामर्श से, वकीलों के अतिरिक्त चैम्बर के निर्माण हेतु अनुदान का उपयोग करने की अनुमति देते (फरवरी 2002) हुए यह निर्धारित किया कि एससीबीए अब तक के अर्जित ब्याज को सरकारी खाते में जमा करें। समापन समय को दिसम्बर 2008 तक बढाते हुए दो विस्तार भी अनुमत किए थे।

डीओएलए ने एससीबीए को उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु अनुरोधों को दोहराया (फरवरी 2009 से अक्तूबर 2012 तक) जिसका कोई परिणाम नहीं मिला। इसके पश्चात्, एससीबीए ने ₹एक करोड़ के अनुदान को उस पर ब्याज सहित वापस करने के विधि एवं न्याय मंत्री (जून 2013) के स्तर पर हुई एक बैठक में सहमत निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। इसके बजाए उसने एमओएलजे को नए अप्पू घर परिसर में एक सभागार के निर्माण हेतु सहायता अनुदान तथा उस ब्याज को उपयोग करने का अनुरोध किया (सितंबर 2017)। बाद में, एससीबीए ने (मई 2019) अनुदान के उपयोग के उद्देश्य को सभागार से सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त बिल्डिंग परिसर में पुस्तकालय के उन्नयन में बदलने हेतु डीओएलए को सिफारिश की।

लेखापरीक्षा ने पाया किः

- सामान्य वित्तीय नियमावली[1] (जीएफआर) प्रावधान करती है कि अनुदानग्राही लक्ष्य तिथियों तक सहायता अनुदान की शर्तों का पालन करने के लिए बंधक पत्र निष्पादित करेगा जिसमें विफल होने पर अनुदान की राशि को ब्याज सहित वापिस किया जाना है। जनवरी 2000 में डीओएलए ने एससीबीए को सहायता अनुदान की शर्तों को पालन करने के बंधक पत्र निष्पादित किए बिना पूरा अनुदान जारी किया जिसकी विफलता में अनुदान की राशि ब्याज सहित नियमावली के तहत लौटानी अपेक्षित थी।
- इसके अतिरिक्त, नियमावली यह भी प्रावधान करती है कि अनुदानग्राही द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के भीतर अनुदानों की वास्तविक उपयोग का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा। डीओएलए ने संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार अव्ययित अनुदान की वसूली करने के स्थान पर एससीबीए को कई विस्तार प्रदान करना जारी रखा जिससे अनुदानों को नियंत्रित करने वाली वित्तीय नियमावली का सख्ती से पालन प्रतीत नहीं होता था।
- एससीबीए ने, अनुदान के उपयोग की अवधि को बढ़ाते समय वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए विनिर्दिष्ट अनुदेशों के बावजूद, न तो ₹एक करोड़ के अनुदान का उपयोग किया था और न ही अर्जित ब्याज (अप्रैल 2019 तक) के कारण ₹1.28 करोड़ का सरकारी खाते में प्रेषण किया था।

मामला अप्रैल 2018 में डीओएलए को बताया गया था। उत्तर में, डीओएलए ने बताया (अगस्त 2019) कि एससीबीए के अनुदान तथा उस पर प्राप्त ब्याज के उपयोग के अनुरोध को व्यय विभाग (डीओई) को वित्तीय सलाह हेतु भेजा गया है डीओई ने अनुदान के उपयोग की स्थिति तथा उद्देश्य, जिसके लिए एससीबीए अनुदान का उपयोग करना चाहता है, की मांग की थी। डीओई के प्रश्नों को एससीबीए को सूचित कर दिया गया था; उनका उत्तर अगस्त 2019 तक प्रतीक्षित था।

इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय बार संघ को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्वर्ण जयंती समारोह के उद्देश्य हेतु संस्वीकृत ₹एक करोड़ के अनुदान का न तो उस उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया था जिसके लिए उसे संस्वीकृत किया गया था और न ही 19 वर्षों के बीत जाने के बावजूद भी, ब्याज सहित इसे वापिस किया गया था।

---

[1] नियम 149 (I)(ए) के अन्तर्गत जीओआई के निर्णय (5) तथा जीएफआर-1963 के नियम 150 के तहत जीओआई के निर्णय 1 (जो कि उस समय लागू था जब अनुदान स्वीकृत/निर्गमित (जारी) किया गया था अर्थात् जनवरी 2000), जीएफआर-2005 के नियम 209 तथा जीएफआर-2017 के नियम 230 में सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए समान प्रावधानों को सम्मिलित किया है।